

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शामली स्थित कैराना।

उपस्थित:- अरुण सिंह -----(उ.प्र. न्यायिक सेवा)

वाद संख्या - 231/09/2006

सरकार-----अभियोजन,  
बनाम

- (1)- नरेश कुमार पुत्र राजा  
 (2)-मौहर सिंह पुत्र सुखवीर,  
 (3)-श्यामकुमार पुत्र भिखारी  
 (4)-चन्द्रभान पुत्र निर्मलदास, समस्त निवासीगण,ग्राम-भारसी, थाना-कांधला, जिला-मु०नगर,  
 हाल जिला शामली।-----अभियुक्तगण

धारा- 323,324,506 भा.द.सं  
 मु.अ.सं.- 273/1997  
 थाना- कांधला, जिला-शामली।

निर्णय

पुलिस थाना-कांधला के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 273/1997, अंतर्गत धारा-323,324,506 भा.द.सं में अभियुक्तगण नरेश कुमार, मौहर सिंह, श्यामकुमार व चन्द्रभान को तलब कर दण्डित करने के लिए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

अभियुक्तगण मौहर सिंह व श्यामकुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध मामले की कार्यवाही उपशमित की गयी तथा अभियुक्त चन्द्रभान की पत्रावली उक्त पत्रावली से दिनांक 26.04.2005 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कैराना द्वारा आदेश पृथक की गई। आदेश पत्रावली पर संलग्न है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी मौ० रहीस पुत्र मौ० अख्तर निवासी मौ० गुजरान थाना-कांधला का है। प्रार्थी रामलीला मेले में एयरगन शूटिंग गुब्बारे की दुकान करता है। प्रार्थी की दुकान पर मोहर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह, चन्द्रभान पुत्र निर्मलदास, श्याम कुमार पुत्र भिखारी, नरेश कुमार पुत्र राजा आये और एयरगन से गुब्बारे शूटिंग करने लगे। करीब 20 गुब्बारे इन लोगों ने शूटिंग एयरगन से किये जब प्रार्थी ने इनसे शूटिंग करने के पैसे मांगे तो उपरोक्त मुल्जिमान झगड़े पर आमादा हो गये और यह कहते हुए कि ले तुझे अभी पैसे देते हैं। मोहर सिंह पुत्र सुखवीर ने अपनी जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर(प्रार्थी) चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी को तीन-चार चोंटे आयी, तभी तीनों मुल्जिमान ने मुझे लातों-घुसों से मारना शुरू कर दिया कि अभी तेरा काम तमाम किये देते हैं तभी मेरा शोर सुनकर मौके पर राशिद पुत्र हकीमुद्दीन, मौ० शमील पुत्र मौ० शरीफ, ताजा पुत्र शौकत आदि मौके पर आ गये जिन्होंने उपरोक्त मुल्जिमान से मेरी जान बचायी मऔर एक मुल्जिमान मोहर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह को मौके पर चाकू सहित पकड़ लिया और उसको पुलिस में दे दिया। प्रार्थी ने अपना डॉक्टरी मुआयना कराकर थाने गया तथा मुल्जिमान के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गई है।

न्यायालय द्वारा उक्त आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया। अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयी। अभियुक्त नरेश कुमार के विरुद्ध धारा 323,324,506 भा.द.सं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप विरचित किये गये। अभियुक्त को

आरोप पत्र पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाही में साक्षी रहीस पुत्र अख्तर को बतौर पी०डब्लू० 1, परीक्षित कराया गया। वादी के द्वारा अन्य गवाहों को उन्मोचित किये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो अभियोजन अधिकारी द्वारा सब्मिट किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया और अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने पुलिस प्रपत्रों की औपचारिकता स्वीकार की। तदोपरांत अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन कथानक को गलत बताया गया है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्त की बहस सुनी गई तथा उनके तर्कों के आलोक में पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक रूप से परीशीलन किया गया।

### निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियोजन को साक्ष्य से संदेह से परे इन तथ्यों को साबित करना है कि प्रार्थी मौ० रहीस पुत्र मौ० अख्तर निवासी मौ० गुजरान थाना-कांधला का है। प्रार्थी रामलीला मेले में एयरगन शूटिंग गुब्बारे की दुकान करता है। प्रार्थी की दुकान पर मोहर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह, चन्द्रभान पुत्र निर्मलदास, श्याम कुमार पुत्र भिखारी, नरेश कुमार पुत्र राजा आये और एयरगन से गुब्बारे शूटिंग करने लगे। करीब 20 गुब्बारे इन लोगों ने शूटिंग एयरगन से किये जब प्रार्थी ने इनसे शूटिंग करने के पैसे मांगे तो उपरोक्त मुल्जिमान झगड़े पर आमामदा हो गये और यह कहते हुए कि ले तुझे अभी पैसे देते हैं। मोहर सिंह पुत्र सुखवीर ने अपनी जेब से चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से मेरे ऊपर (प्रार्थी) चाकू से हमला कर दिया, जिससे प्रार्थी को तीन-चार चोटें आयी, तभी तीनों मुल्जिमान ने मुझे लातों-घुसों से मारना शुरू कर दिया कि अभी तेरा काम तमाम किये देते हैं तभी मेरा शोर सुनकर मौके पर राशिद पुत्र हकीमुद्दीन, मौ० शमील पुत्र मौ० शरीफ, ताजा पुत्र शौकत आदि मौके पर आ गये जिन्होंने उपरोक्त मुल्जिमान से मेरी जान बचायी और एक मुल्जिमान मोहर सिंह पुत्र सुखवीर सिंह को मौके पर चाकू सहित पकड़ लिया और उसको पुलिस में दे दिया। प्रार्थी ने अपना डॉक्टर मुआयना कराकर थाने पर गया।

अभियोजन द्वारा मामले को साबित करने के लिये पी० डब्लू० 1 के रूप में रहीस पुत्र अख्तर को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि घटना आज से करीब 24 वर्ष पहले की है। मेरी दुकान जिस पर एयरगन से गुब्बारे की शूटिंग करवाता था, जहां कुछ लोग शूटिंग के लिए आये और बीस गुब्बारे पर निशाना लगाया और जाने लगे मैंने जब उनसे उनके पैसे मांगे तो सभी लोगों ने मेरे साथ मारपीट करने लगे। मेरा शोर सुनकर आस-पास के लोग मौके पर आ गये। जिन्हें आता देख वे लोग जान से मारने की धमकी देकर भाग गये। घटना के सम्बंध में एक तहरीर लिखवाकर थाने पर दी थी जो पत्रावली पर संलग्न है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने अपना मेडिकल सी.एच.सी. कांधला में करवाया था।

पी०डब्लू० 1 ने अपनी जिरह में गवाह को 161 सी.आर.पी.सी. का बयान पढ़कर सुनाया गया तो गवाह ने कहा कि ऐसा कोई बयान मैंने दारोगा जी को नहीं दिया कैसे लिख लिया नहीं बता सकता। तहरीर मैंने लिखवाकर थाने पर दी थी, लिखने वाले ने पढ़कर नहीं सुनाया था, मैं पढ़ा, लिखा नहीं हूँ, नहीं बता सकता कि तहरीर में क्या लिखा है। हाजिर अदालत नरेश को आज पहली बार न्यायालय में देख रहा हूँ। इसने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की, न ही गंभीर रूप से घायल किया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। यह कहना सही है कि हमारा आपस में समझौता हो गया है पर यह कहना गलत है कि कि समझौते के कारण सही बात नहीं बता रहा हूँ। मैं ये बयान अपनी मर्जी से बिना किसी लालच, दबाव के दे रहा हूँ।

आपराधिक विधि का यह मूलभूत सिद्धांत है कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित करें। साक्षी पी०डब्लू० 1, उक्त प्रकरण में एक मात्र चोटिल हुआ था और वादी मुकदमा है, उसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है।

उपरोक्त गवाह के बयान के तुलनात्मक विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पहुंचता है कि गवाह ने घटना का समर्थन नहीं किया है।

अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे मामला साबित नहीं होता है तथा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र राजा को अंतर्गत धारा 323, 324, 506 भा.द.सं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित है।

#### आदेश

अभियुक्त नरेश कुमार पुत्र राजा को अंतर्गत धारा 323, 324, 506 भा.द.सं के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उसकी जमानतनामे एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

दिनांक: - 06.10.2021

(अरूण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक: - 06.10.2021

(अरूण सिंह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
शामली।